दिनांक 02.06.2025
प्रेस विज्ञप्ति 02/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पूर्व पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के सेवानिवृत्त होने के परिपेक्ष्य में विदाई समारोह का किया गया आयोजन

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा पुलिस मुख्यालय में आज दिनांक 02.06.2025 को **श्री प्रशान्त कुमार**, पूर्व पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के दिनांक 31.05.2025 को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने के परिपेक्ष्य में आयोजित विदाई समारोह में विभाग के प्रति दीर्घकालिक समर्पण, अनुकरणीय नेतृत्व एवं बहुमूल्य योगदान के लिये स्मृति चिन्ह भेंट किया गया तथा उनके एवं उनके परिवार के सुख, समृद्धि एवं उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गयी।

कार्यक्रम के दौरान सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक/चेयरमैन यूपीएसएसएससी, **श्री एस0एन0 साबत** जी एवं सेवानिवृत्त अपर पुलिस महानिदेशक/राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य **श्री बृज भूषण** द्वारा अपने संबोधन में **श्री प्रशान्त कुमार जी** द्वारा सेवाकाल के दौरान किये गये कार्यों की सराहना करते हुये उनके साथ बिताये गये अपने कार्यकाल के दौरान के संस्मरण साझा किये गये तथा उनके उज्जव भविष्य की कामना की गयी।

इस अवसर पर पूर्व पुलिस महानिदेशक, **श्री प्रशान्त कुमार जी** द्वारा संबोधन के दौरान सेवाकाल के अनुभव एवं संस्मरण साझा करते हुये अपने माता–पिता, भाई–बहन तथा पत्नी व बच्चों को धन्यवाद दिया गया, जिन्होने यहां तक की यात्रा में सहयोग किया। अपने उद्बोधन में यह भी कहा कि विश्व के सबसे बड़े पुलिस बल के मुखिया के तौर पर कार्य करना बहुत गर्व की बात रही। सेवाकाल के दौरान अपने अधीनस्थों का जो सहयोग प्राप्त हुआ उससे सफलतापूर्वक अपना कार्यकाल पूर्ण करने में सफल रहा। पुलिस बल द्वारा मिले भरपूर स्नेह और सहयोग के लिये पूरे पुलिस बल का तहेदिल से धन्यवाद दिया गया।

कार्यक्रम के अंत में **श्री राजीव कृष्ण**, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि इतने बड़े पुलिस बल के मुखिया के तौर पर जो निर्णय लिये जाते हैं उसमें पुलिस बल की भलाई, जनता की भलाई एवं शासन की नीतियों का समावेश होता है और इन सभी चीजों का समावेश करते हुए जिस तरीके से **श्री प्रशांत कुमार जी** ने पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस का संचालन किया, वह अद्वितीय रहा। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा पूरे उ**0**प्र**0** पुलिस परिवार की तरफ से श्री प्रशान्त कुमार जी एवं उनके परिवार के उज्वल भविष्य एवं स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए यह आशा की गयी कि श्री प्रशान्त कुमार जी के अनुकरणीय सेवाभाव, नेतृत्व एवं कर्तव्य निष्ठा हम सभी के लिये प्रेरणा श्रोत रहेगा एवं विस्तृत अनुभवों का लाभ हमें जरूर मिलता रहेगा।

पूर्व पुलिस महानिदेशक, श्री प्रशान्त कुमार जी का जीवन परिचय

श्री प्रशान्त कुमार जी का जन्म 16 मई 1965 को सीवान (बिहार) में हुआ था। वर्ष 1990 में 'भारतीय पुलिस सेवा' में चयनित होकर तमिलनाडु कैडर में नियुक्त रहे। वर्ष 1994 में तमिलनाडु कैडर से उत्तर प्रदेश कैडर में स्थानान्तरित होकर सहायक पुलिस अधीक्षक, बरेली, पुलिस अधीक्षक(नगर) वाराणसी, पुलिस अधीक्षक(नगर) बरेली, पुलिस अधीक्षक, जनपद भदोही, पौड़ी गढ़वाल, सोनभद्र, जौनपुर, बाराबंकी, सीबीसीआईडी मुख्यालय लखनऊ, अभिूसचना मुख्यालय लखनऊ, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद, फैजाबाद एवं सहारनपुर के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 2005 में 'पुलिस उपमहानिरीक्षक' के पद पर प्रोन्नत होने के उपरान्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, जनपद सहारनपुर, पुलिस उप महानिरीक्षक, मिर्जापुर परिक्षेत्र, फैजाबाद परिक्षेत्र, सहारनपुर परिक्षेत्र, मेरठ परिक्षेत्र, पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद, पुलिस उप महानिरीक्षक (स्थापना), पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद, पुलिस उप महानिरीक्षक, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 एवं पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना मुख्यालय, लखनऊ के पदों पर नियुक्त रहे तथा यहीं से केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर प्रस्थान कर गये। वर्ष 2015 में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस आने के फलस्वरूप अपर पुलिस महानिदेशक सुरक्षा, पीएसी, यातायात लखनऊ, अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन एवं अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 2023 में

'विशेष पुलिस महानिदेशक' के पद पर प्रोन्नत होने के उपरान्त विशेष पुलिस महानिदेशक, कानून–व्यवस्था, उ0प्र0 के पद के साथ–साथ अपराध, ईओडब्ल्यू एवं एसएसआईटी के पदों के दायित्वों का निर्वहन किया गया। 01 जनवरी 2024 को पुलिस महानिदेशक के पद पर प्रोन्नति होने के फलस्वरूप पुलिस महानिदेशक, कानून–व्यवस्था/ईओडब्ल्यू तथा फरवरी 2024 से सेवानिवृत्ति तक पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के पद पर कार्यरत रहे, जहाँ से दिनॉकः 31.05.2025 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुये।

श्री प्रशान्त कुमार जी निष्ठावान, ऊर्जावान, कर्मठ एवं सुयोग्य अधिकारी होने के साथ ही एक कुशल प्रशासक भी रहे हैं। इनका 33 वर्षों से अधिक का सेवाकाल अत्यन्त सराहनीय रहा है।

श्री प्रशान्त कुमार जी को स्वतन्त्रता दिवस 2007 के अवसर पर दीर्घ एवं सराहनीय सेवाओं के लिये पुलिस पदक, दिनॉकः 09.03.2011 को महानिदेशक सीआईएसएफ डिस्क, दिनॉकः 15.10.2012 को महानिदेशक आईटीबीपी कमेण्डेशन रोल एवं सिल्वर डिस्क, दिनॉकः 02.12.2012 को महानिदेशक आईटीबीपी कमेण्डेशन रोल एवं गोल्ड डिस्क, गणतन्त्र दिवस 2014 के अवसर पर विशिष्ट सेवाओं के लिये राष्ट्रपति का पुलिस पदक, गणतन्त्र दिवस 2018 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का प्रशंसा चिन्ह(सिल्वर), स्वतन्त्रता दिवस 2018 के अवसर पर मा0 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक, वर्ष 2019 में कुम्भ सेवा पदक, स्वतन्त्रता दिवस 2019 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का प्रशंसा चिन्ह(गोल्ड), दिनॉकः 11.07.2020 को पराक्रम पदक, स्वतन्त्रता दिवस 2020 के अवसर पर वीरता के लिये पुलिस पदक एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का प्रशंसा चिन्ह(प्लैटिनम), गणतन्त्र दिवस 2021 के अवसर पर वीरता के लिये पुलिस पदक का प्रथम बार, स्वतन्त्रता दिवस 2021 के अवसर पर अति उत्कृष्ट सेवा पदक, गणतन्त्र दिवस 2022 के अवसर पर वीरता के लिये पुलिस पदक का द्वितीय बार, गणतन्त्र दिवस 2023 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का प्रशंसा पत्र एवं गणतन्त्र दिवस 2024 के अवसर पर वीरता पदक से सम्मानित किया गया है।

I.P.S.
RAJEEV KRISHNA

GRIT & RESOLVE
UTTAR PRADESH POLICE
INITIATIVES

दिनांक 02.06.2025
प्रेस विज्ञप्ति 03/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>एएनटीएफ/एएनटीएफ थाना बाराबंकी</u>

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 02 करोड़ 05 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 26 ग्राम अवैध स्मैक/हेरोइन**
- **नगद रूपये, 03 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 02.06.2025 को एएनटीएफ थाना बाराबंकी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हैदरगढ़ जाने वाली रोड़ फैजाबाद लखनऊ हाईवे अण्डरपास के पास से 03 अभियुक्तों 1–बदरूद्दीन उर्फ शादाब 2–मो0जैद 3–बबलू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 02 करोड़ 05 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 26 ग्राम अवैध स्मैक/हेरोइन, नगद रूपये, 03 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–बदरूद्दीन उर्फ शादाब निवासी ग्राम चन्दौली थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी।

2–मो0जैद निवासी ग्राम चन्दौली थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी।

3–बबलू निवासी ग्राम मरकामऊ थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी।

<u>बरामदगी</u>

1–लगभग 02 करोड़ 05 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 26 ग्राम अवैध स्मैक/हेरोइन।

2–नगद रूपये, 03 मोबाइल फोन।

3–01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली देहात

- **पुलिस कार्यवाही में 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट का 01 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 01/02.06.2025 को थाना कोतवाली देहात व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हजरतपुर बम्बे के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त इमरान घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट का 01 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद अलीगढ़, बुलन्दशहर के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 16 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–इमरान निवासी एडीए कॉलोनी शहाजमालकोल थाना देहली गेट जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1–लूट का 01 मोबाइल फोन।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस।

3–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

जनपद प्रतापगढ़/थाना कंधई

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट का 01 ड्रोन कैमरा, 01 चार्जर, 01 रिमोट, 02 बैट्री**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 02.06.2025 को थाना कंधई पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर उमरपुर मोड़ के पास से 02 अभियुक्तों 1–राजू 2–दिनेश को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट का 01 ड्रोन कैमरा, 01 चार्जर, 01 रिमोट, 02 बैट्री, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 23.05.2025 को थाना कंधई क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कंधई पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद ड्रोन कैमरा आदि उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कंधई पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजू निवासी ग्राम रामपुर वेला थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

2–दिनेश निवासी ग्राम रामपुर वेला थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी

1–लूट का 01 ड्रोन कैमरा, 01 चार्जर, 01 रिमोट, 02 बैट्री।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–01 मोटर साइकिल आदि।

कमिश्नरेट आगरा/थाना सिकन्दरा

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 03 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 494.35 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **नगद रूपये, 07 मोबाइल फोन, 04 आधार कार्ड, 03 पैन कार्ड**
- **घटना में प्रयुक्त 01 ट्रक, 01 कार आदि बरामद**

दिनांक 02.06.2025 को थाना सिकन्दरा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हीरालाल की प्याऊ के पास से 03 अभियुक्तों 1–मो0अफसर 2–धर्मा उर्फ धर्मपाल 3–प्रसन्नजीत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 03 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 494.35 किलोग्राम अवैध गांजा, नगद रूपये, 07 मोबाइल फोन, 04 आधार कार्ड, 03 पैन कार्ड, घटना में प्रयुक्त 01 ट्रक, 01 कार आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना सिकन्दरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मो0अफसर निवासी कुरैशियान थाना सैदनगली जनपद अमरोहा, हालपता सदुल्ला बाग लोनी देहात थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

2–धर्मा उर्फ धर्मपाल निवासी कस्बा खटीक टूला थाना पिनाहट कमिश्नरेट आगरा।

3–प्रसन्नजीत निवासी बतला स्टेशन रोड थाना बनगाँव जनपद नार्थ 24 परगना।

बरामदगी

1–लगभग 03 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 494.35 किलोग्राम अवैध गांजा।

2–नगद रूपये, 07 मोबाइल फोन, 04 आधार कार्ड, 03 पैन कार्ड।

3–घटना में प्रयुक्त 01 ट्रक, 01 कार आदि।

जनपद जौनपुर/थाना जलालपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 02.06.2025 को थाना जलालपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेहटी गांव के पास हाईवे पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त किशन उर्फ भोथू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद जौनपुर, कमिश्नरेट वाराणसी के विभिन्न थानो में डकैती, लूट, गैंगेस्टर एक्ट, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना जलालपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–किशन उर्फ भोथू निवासी सैदपुर थाना जलालपुर जनपद जौनपुर।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

- **<u>जनपद जालौन/थाना चुर्खी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 65 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद जालौन पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जालौन द्वारा थाना चुर्खी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त लल्लू को आजीवन करावास व 65 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद श्रावस्ती/थाना गिलौला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद श्रावस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद श्रावस्ती द्वारा थाना गिलौला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त दयाराम को आजीवन करावास व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बागपत/थाना कोतवाली बागपत (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 30 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बागपत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बागपत द्वारा थाना कोतवाली बागपत पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रिंकू को सश्रम आजीवन करावास व 30 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बांदा/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बांदा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बांदा द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/506 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त इस्माइल को 20 वर्ष के कठोर करावास व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सहारनपुर/थाना नकुड़ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सहारनपुर द्वारा थाना नकुड़ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/366/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त दीपक कुमार को 15 वर्ष के कठोर करावास व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————